भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान,
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई (देहरादून) – 248 011

पत्रांक 03/5(1)/SCF/Store/FP/2019-20 दिनांक 04.01.2022

मक्का के दानों एवं धान का नीलामी नोटिस

भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई पर मक्का के दानों (30298.10 किग्रा) एवं धान (533.00 किग्रा.) की खुली नीलामी दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 11.00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। इच्छूक बोलीदाता इस खुली नीलामी में भाग ले सकते है।

नीलामी का विस्तृत विवरण

इस संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में मक्का के दानों (30298.10 किग्रा) एवं धान (533.00 किग्रा.) की खुली नीलामी दिनांक 27.01..2022 को प्रातः 11.00 बजे की जानी है। इस खुली नीलामी की नियम व शर्ते निम्न प्रकार से हैः–

1. मक्का के दानो एवं धान की खुली नीलामी दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 11.00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। जो भी बोलीदाता प्रातः 11:00 तक बजे नीलामी में उपस्थित होगें उन्हे ही बोली लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रातः 11:00 के पश्चात किसी भी बोलीदाता को भवन में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।
2. मक्का के दानो एवं धान की नीलामी, **जैसी है जहॉ है** के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात मक्का के दानो एवं धान से सम्बधिंत किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नही किया जायेगा।
3. इच्छूक बोलीदाता मक्का के दानो एवं धान का निरीक्षण नीलामी नोटिस जारी होने के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे से 4:00 बजे के बीच कर सकते है।
4. इच्छूक बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पहले अपने **आधार कार्ड** एवं **बैंक खाते के विवरण की पासबुक** की छायाप्रति संस्थान में जमा करानी होगी।
5. सभी बोलीदाताओं को बोली के दिन कोविड–19 के दिशानिर्देशों के अनुरूप मास्क, सैनेटाइजेशन व दो गज की दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य है।
6. बोलीदाता को नीलामी कक्ष में प्रवेश से पहले मक्का के दानों हेतु रू0 25,000/–(रूपये पच्चीस हजार मात्र) एवं धान हेतु रू0 500/–(रूपये पांच सौ मात्र) की धरोहर राशि (Security Money) कैश या डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ICAR(unit) IISWC Dehradun के पक्ष में हो जमा कराना होगा। धरोहर राशि (Security Money) की धनराशि जमा न कराने की अवस्था में नीलामी कक्ष/स्थल में प्रवेश की अनुमति प्रदान नही की जायेगी।
7. एक धरोहर राशि (Security Money) के कैश या डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
8. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा। तथा नीलामी उनके पक्ष में अनुमोदित की जायेगी। असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि (Security Money) का कैश/ डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
9. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि को सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा किया जायेगा, सिक्योरिटी राशि POS machine or NEFT/RTGS के माध्यम से ही जमा की जायेगी जो कि बोलीदाता को माल उठाने की अवधि के 60 दिन पूर्ण होने के पश्चात् कोई भी नुकसान अथवा पैनल्टी न होने की अवस्था में वापस की जायेगी।
10. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली के तुरन्त पश्चात **उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट /पी0ओ0एस0 मशीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान के खाते में जमा** कराना होगा। नगद धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी।

11. सफल बोलीदाता को शेष 75 प्रतिशत धनराशि नीलामी तिथि के **सात दिवस** के भीतर अर्थात 03.02.2022 तक जमा करानी होगी। इस अवधि मे शेष धनराशि जमा नहीं कराने की अवस्था में उनके पक्ष में अनुमोदित नीलामी रद्द मानी जायेगी तथा उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनका नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।
12. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश जारी होने की तिथि से मक्का के दानो एवं धान को 30 दिवस के अन्दर अनुसंधान प्रक्षेत्र के बाहर कार्य दिवस में ले जाना होगा तथा नीलामी के पश्चात नीलाम किये गये मक्का के दानो एवं धान को बाहर ले जाने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। संस्थान द्वारा इसमे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा। इन 30 दिवस के भीतर यदि नीलाम किये गये माल को अनुसंधान प्रक्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया तो इसके पश्चात सफल बोलीदाता को कुल नीलामी राशि का 1/2 % (आधा प्रतिशत) प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी/ गोदाम किराये के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा तथा पैनल्टी भुगतान के पश्चात् ही उनको माल उठाने की अनुमति दी जायेगी। यह सीमा अधिकतम 15 दिवस की होगी इसके बाद भी यदि बोलीदाता माल उठाने में असफल रहता है तब ऐसी स्थिति में इस नीलामी को रद्द कर, ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी एंव शेष बचे माल को भी यदि कोई रहा होगा, को भी जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिए बोलीदाता स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
13. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी ।
14. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगायें जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की छायाप्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी एवं उन्हे कोविड–19 के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।
15. सफल बोलीदाता द्वारा मक्का के दानो एवं धान को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से 4.00 बजे के बीच ही करना होगा।
16. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा माल को प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई मे होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरूद्व उचित कार्यवाही की जायेगी।
17. निदेशक, भा0कृ0अ0प0–भारतीय मृदा एंव जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई